

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

..... वकील मुल्की बनाम श्रीमान श्री .....

दावा बाबत :- 88 RFA-CT

मुकदमा नम्बर :- 165/2019

निर्णय दिनांक :- 02-11-2021

वादी की ओर से वकील मुल्की की व प्रतिवादी सं0 1016 की ओर से वकील जयशंकर चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमान श्री के खाता सं- 391/382 के खाते से

7 की 40000 है, खाता सं- 53/2 की 10120 है, खाता सं- 103 की 44020 है

खाता सं- 155 की 20870 है, खाता सं- 156 की 20620 है कुल 135730 है

कारणों के प्रतिवादी सं- 1 श्रीमान श्री के नाम से राजस्व रिमाउंट के दफ्तरे में से प्रतिवादी सं- 1 श्रीमान श्री का नाम कलमजबूत किया जाकर

वादी मुल्की व प्रतिवादी सं- 2 राजेश प्रतिवादी सं- 3 राजेश का बहिष्कार करके के खाते पर कब्जा कर लिया कि जा रहा है कि प्रतिवादी सं- 1 व पता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी

व प्रतिवादी सं- 2 व 3 के पास के लिये कर मुन्हा कर लिया है इसलिए त्याग किने गये हिस्से पर पंजायत विभागा को दखल

पंजीयत मुन्हा एवं ह्याम उभरी अदा करने व यदि कृषि मुन्हा वक के हक हो तो हुन्हा मुन्हा होने के उपरान्त ही राजस्व रिमाउंट अंश परामद किया जावे श्रीमान श्री की डिग्री को काटा जाये

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की द्वा से जारी की गई।

BA  
(शकुन्तला चौधरी)  
(सिविल प्रशासी) RFA-CT  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
गांव के संग/कैम्प कोर्ट  
भादरा, जिला हनुमानगढ़  
कैम्प  
Shakti